रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222341
CG-DL-E-09102020-222341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942**
No. 510]	**NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 624(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 9 और धारा 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, आईटी, टोल), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. **(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—**(1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में इस बात के होते हुए भी, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 14 में, उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(2) "अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए www.parivahan.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 4ए में, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और इस के साथ भरा जाएगा-

(क) इन नियमों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस;

(ख) नियम 32 में विनिर्दिष्ट उचित शुल्क;

(ग) आवेदक के तीन हाल के पासपोर्ट साइज के फोटो;

(घ) भारतीय राष्ट्रीयता का वैध प्रमाण;

(ड.) पासपोर्ट का वैध प्रमाण;"

3. उक्त नियम में, नियम 32 में, सारणी में, क्रम सं. 5 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"5.	अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परमिट जारी करने के संबंध में	एक हजार रु. भारतीय मिशन/ पोस्ट के माध्यम से आवेदित आवेदन के मामले में समाप्त आईडीपी रखने वाले विदेशी नागरिक से दो हजार रु. अतिरिक्त लिया जाएगा	14(2)(ख)	9"

4. उक्त नियम में, प्रारूप 4ए में, आवेदक द्वारा सारणी के विवरण में भरा जाएगा,

(क) क्रम सं. 4 में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(ग)	मोबाइल	....
(घ)	ई-मेल आईडी	................................."

(ख) क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्

(क)	क्या आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से?	
(घ)	क्या वर्तमान देश में आपको गाड़ी चलाने के लिए वर्जित किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से?	

(ग) क्रम सं. 15 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी: -

"15. वर्तमान पता जहां मैं आईडीपी प्राप्त करना चाहता हूं, (आवेदक के वर्तमान निवास के दौरान जारी ईडीपी के समाप्त होने के बाद आवेदक द्वारा विदेश से आवेदन करने के मामले में लागू) ……………………………………………………………".

[फा. सं. आरटी-11036/55/2020–एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नियम 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक .... की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. .....(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 624(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 9 and section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

The objections or suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL,IT & Toll), Email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. (1) **Short title and commencement**.—These rules may be called the Central Motor Vehicles (…………………… Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 14, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) An application for an International Driving permit shall be made online through the portal www.parivahan.gov.in in Form 4A and shall be accompanied by —

(a) valid driving licence issued by the licensing authority under these rules;

(b) appropriate fee as specified in rule 32;

(c) three copies of the applicant's recent passport photograph;

(d) valid proof of Indian Nationals;

(e) valid proof of passport; ".

3. In the said rules, in rule 32, for in the table, for sl. No. 5 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

"5.	In respect of issue of International Driving Permit	One thousand rupees Additional fee of Rupees Two thousand shall be levied in case the applicant has applied online through Indian Mission/ Post abroad from a foreign nation having expired IDP.	14(2)(b)	9"

4. In the said rules, in Form 4A, in the Table under Particulars to be furnished by Applicant,

(a) in serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be inserted:-

(c)	Mobile	…………………………….
(d)	Email Id	…………………………….."

(b) for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be inserted:-

(a)	Have you been disqualified for obtaining a driving license to drive? If so, for what reason?	
(d)	Have you been barred by the current country to drive in that country? If so, for what reason?	

(c) for serial number 15, the following shall be substituted: -

"15. Present address where I wish to collect my IDP, (applicable only in case if applicant is applying from a Foreign Country after expiry of IDP issued during his current stay)……………………………………………………………".

[F. No. RT-11036/55/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. …………..(E), dated…………………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.09 22:50:43 +05'30'